न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 30A / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. लीलादेवी पुत्री वीरमाराम पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी इन्द्राणियों का तला, कानोड़ तहसील गिड़ा
2. पेम्पों पुत्री वीरमाराम पत्नी राजूराम जाति जाट निवासी सऊओं की ढाणी, अकदड़ा तहसील बायतु
3. साकू पुत्री वीरमाराम पत्नी भोमाराम जाति जाट निवासी गोदारों की ढाणी, खट्टू तहसील पचपदरा
4. खम्मादेवी पत्नी वीरमाराम जाति जाट निवासी खोथों की ढाणी अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
5. राजों पुत्री वीरमारराम पत्नी नैनाराम जाति जाट निवासी नया बाटाडू, सिगोड़िया तहसील बायतु।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.अचलाराम पुत्र उगराराम
2.खेमाराम पुत्र उगराराम
3.ताजाराम पुत्र उगराराम
4.किशना पुत्र कुम्भाराम
5.रूगाराम पुत्र कुम्भाराम
6.गवरी पत्नी कुम्भाराम
7.दलाराम पुत्र शोभाराम
8.चुनी पत्नी शोभाराम जाति जाट निवासी खोथों की ढाणी अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
9.तहसीलदार बायतु।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 132/2011 बअनवान अचलाराम वगैरा बनाम किशना वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रिणछाराम सियाग अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भोमाराम रेस्पोडेंट संख्या 04 से 06 की ओर से।
3. वकील श्री श्रवणकुमार चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 व 07, 08 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 10.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 10 पूर्व पुरूष हिमथाराम के वंशज है हिमथाराम के तीन पुत्र पेमा,निम्बा व पूरा थे। हिमथाराम का देहान्त भू–राजस्व से पूर्व हो गया था तथा उसने अपने कब्जे की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जोत पर अपने तीनों पुत्रों को समान रूप से काबिज कर दिया था उसका बड़ा पुत्र पेमा अपने पिता के जीवनकाल में ही संयुक्त परिवार से पृथक हो गया था। प्रतिवादी संख्या 01 से 10 इस मुतवफी पेमा के वारिसान है। वादीगण एवं मुतवफी पूराराम की संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि मोजा खोथों की ढाणी में खसरा संख्या 977, 1047, 1066 कुल रकबा 107.19 बीघा, सऊओ की ढाणी में खसरा संख्या 1068 रकबा 09.11 बीघा तथा मौजा खोथो की ढाणी में खसरा संख्या 935, 936, 940 कुल रकबा 18.18 बीघा व खसरा संख्या 934 रकबा 934 रकबा 05.09 बीघा व 941 रकबा 10.10 बीघा की आई हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के सम्मन व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं करवाये गये तथा उतरदाता संख्या 01 से 03 तामिल कुन्निदा के साथ मिलीभगत करते हुऐ अपीलांटगण के फर्जी अंगुष्ठ निशान कर सम्मन न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के सम्मन तामिल के बारे में सम्यक रूप से जांच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांटगण के नाम से जो सम्मन पेश किये गये है उसमें अपीलांट का पता खोथों की ढाणी, भादासर अकदड़ा अंकित है जबकि अपीलांटगण विवाहित होने से अपने अपने ससुराल में निवास करती है। अपीलांटगण की तरफ से उतरदातागण द्वारा मिलीभगत कर अण्डरटेकिंग दिलाई गई तथा एक वर्ष तक अधिवक्ता किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की तथा बाद में अपीलांटगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक रेकर्डेड सहखातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलोच्य अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। खसरा संख्या 934, 941 कुल रकबा 15.19 बीघा का पर्चा लगान अकेले पूरा के नाम से जारी हुआ था तथा पूरा के कोई जायंदा पुत्र न होने पर पूरा ने अपने जीवनकाल में अपीलांट के पिता व पति वीरमा को गोद लिया गया तथा पूरा की मृत्यु के बाद वीरमा ही वादग्रस्त भूमि पर गोदपुत्र की हैसियत से काबिज हो गया था इस विधिवत रूप से पूरा के विधिक गोद पुत्र के नाम से सही नामांतरकरण पारित किया गया था तथा निम्बा गोद पुत्र पूरा के फौत होने पर उसके पर अपीलांटगण का नाम सही अंकित किया है। उतरदाता संख्या 01 से 03 के द्वारा प्रारम्भ में वाद धारा 88, 53, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया था तथा बाद में अपनी ओर से पेश साक्ष्य शपथ पत्र में भी धारा 53 का अनुतोष चाहा गया है परन्तु धारा 53 में बंटवाड़े हेतु विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना आवश्यक होता है इसलिये विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने से अपीलांटगण को वाद की जानकानी हो जाती

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जिस कारण उतरदाता संख्या 01 से 03 ने बाद में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की इस्तदुआ को तर्क करते हुए गुपचुप तरीके से वाद को निर्णित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निर्णित करने से पूर्व कोई विवाद्यक बिन्दू कायम नहीं किये गये तथा बिना विवाद्यक बिन्दू कायम किये ही अपीलाधीन वाद को निर्णित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की स्थिति के बारे में किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई है जबकि मौके पर वादग्रस्त भूमि पर एकमात्र अपीलांटगण का ही कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्रारम्भ से विधि विरूद्ध एवं अवैध है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के सम्मन व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं करवाये गये तथा उतरदाता संख्या 01 से 03 तामिल कुन्निदा के साथ मिलीभगत करते हुऐ अपीलांटगण के फर्जी अंगुष्ठ निशान कर सम्मन न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के सम्मन तामिल के बारे में सम्यक रूप से जांच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांटगण के नाम से जो सम्मन पेश किये गये है उसमें अपीलांट का पता खोथों की ढाणी, भादासर अकदड़ा अंकित है जबकि अपीलांटगण विवाहित होने से अपने अपने ससुराल में निवास करती है। अपीलांटगण की तरफ से उतरदातागण द्वारा मिलीभगत कर अण्डरटेकिंग दिलाई गई तथा एक वर्ष तक अधिवक्ता किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की तथा बाद में अपीलांटगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक रेकर्डेड सहखातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलोच्य अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। खसरा संख्या 934, 941 कुल रकबा 15.19 बीघा का पर्चा लगान अकेले पूरा के नाम से जारी हुआ था तथा पूरा के कोई जायंदा पुत्र न होने पर पूरा ने अपने जीवनकाल में अपीलांट के पिता व पति वीरमा को गोद लिया गया तथा पूरा की मृत्यु के बाद वीरमा ही वादग्रस्त भूमि पर गोदपुत्र की हैसियत से काबिज हो गया था इस विधिवत रूप से पूरा के विधिक गोद पुत्र के नाम से सही नामांतरकरण पारित किया गया था तथा

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निम्बा गोद पुत्र पूरा के फौत होने पर उसके पर अपीलांटगण का नाम सही अंकित किया है। उतरदाता संख्या 01 से 03 के द्वारा प्रारम्भ में वाद धारा 88, 53, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया था तथा बाद में अपनी ओर से पेश साक्ष्य शपथ पत्र में भी धारा 53 का अनुतोष चाहा गया है परन्तु धारा 53 में बंटवाड़े हेतु विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना आवश्यक होता है इसलिये विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने से अपीलांटगण को वाद की जानकानी हो जाती जिस कारण उतरदाता संख्या 01 से 03 ने बाद में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की इस्तदुआ को तर्क करते हुए गुपचुप तरीके से वाद को निर्णित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निर्णित करने से पूर्व कोई विवाद्यक बिन्दू कायम नहीं किये गये तथा बिना विवाद्यक बिन्दू कायम किये ही अपीलाधीन वाद को निर्णित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की स्थिति के बारे में किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई है जबकि मौके पर वादग्रस्त भूमि पर एकमात्र अपीलांटगण का ही कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्रारम्भ से विधि विरूद्ध एवं अवैध है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2003(1) Page 718
राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955, पेज 108
RRT 2008(1) Page 12

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 04 से 06 ने अपील लिखित बहस दिनांक 09.08.2019 में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वाद का निर्णय किया गया है, जिस कारण उक्त वाद का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर अपीलांटगण सहित अन्य पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना न्यायोचित है।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 व 07, 08 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। पक्षकार हिन्दू विधि से शासित है। स्व. पूराराम के देहान्त के समय उसकी पुत्री चैनी देवी थी। जिसका देहान्त हो चुका है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 10 मृतक पुराराम के उतराधिकार अधिनियम की धारा 08 के द्वितीय वर्ग के वारीसान है, स्व. पूराराम ने वीरमाराम को गोद नहीं लिया तथा न गोद के किसी दस्तावेज का उल्लेख ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण संख्या 62 व 63

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

ग्राम मादासर पर किया है। वर्ष 1987 में वीरमाराम को गोद बताया है जबकि उस समय वीरमाराम विवाहित था। वर्ष 1972 के बाद रजिस्टर्ड गोदनामा होना आवश्यक है। अपीलांट ने कोई गोदनामा पेश नहीं किया है। केवल पगड़ी की रस्म ही गोद पुत्र साबित करने के लिय पर्याप्त नहीं है। अपीलांटगण द्वारा गोदनामे का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार आज भी वीरमाराम पुत्र पेमाराम दर्ज है। पेमाराम सेटलमेंट में अलग रहता था जबकि निम्बाराम, पूराराम साथ रहते है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था और अपीलार्थीगण को सूचित किये बिना अनुपस्थित हो गये। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2014(1) Page 590
RRT 2015(1) Page 579
RRT 2002(2) Page 1157
RRT 2009(2) Page 1312
RRT 2005(1) Page 548
RRT 2003(1) Page 276
RRT 2002(2) Page 778
RRT 2002(2) Page 1214

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। अरसा 20 दिन पूर्व अपीलांटगण ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी से वर्तमान जमाबंदी की प्राप्त की तब अपीलांटगण को उक्त वाद व निर्णय की जानकारी हुई है तब अपीलांटगण ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर अपने प्रकरण की जानकारी ली तथा दिनांक 10.03.2016 को नकलें प्राप्त की तो सम्पूर्ण तथ्य की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि सार रूप में मामले का आधार गोदनामा है लेकिन अपीलांटगण द्वारा न्यायालय में गोदनामे के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य या लिखित दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि गोद लेने की प्रक्रिया हुई हो। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार आज भी वीरमाराम पुत्र पेमाराम दर्ज है। अपीलांट न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है लेकिन वादग्रस्त आराजी में अपने हक का ठोस आधार पेश नहीं कर पाये जिससे मामले को लंबा करना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 132/2011 बअनवान अचलाराम वगैरा बनाम किशना वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2015 को यथावत रखा जाता है।

10/10/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner